



तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
5/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकिल उप०।</p> <p>प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 269/141, 273/142, 277/143 रकबा क्रमशः 32.10, 52.06, 22.05 बीघा भूमि, मौजा - लीकडी, पटवार क्षेत्र-बालासर, भु- अभिलेख निरीक्षक - शिव, तह० शिव में भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढा ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 07 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 07 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	


 उपजुड अधिकारी
 जिला

— आदेश —

अतः हाकमसिंह पुत्र गेमरसिंह, जाति— राजपुत, नि० लीकडी, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 269 / 141, 273 / 142, 277 / 143 रकबा क्रमशः 32.10, 52.06, 22.05 बीघा भूमि मौजा— लीकडी, पटवार हल्का— बालासर, भु— अभिलेख निरीक्षक— शिव, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000 /— रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :-11/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 3001

दिनांक- 28/6/19

प्रार्थीगण
हाकमसिंह पुत्र गेमरसिंह, जाति- राजपुत,
नि0 लीकडी, तह0 शिव वगैरा (02)

बनाम

विप्रार्थीगण
अचलसिंह पुत्र जेतमालसिंह वगैरा (07)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 269/141, 273/142 व 277/143 रकबा क्रमशः 32.10, 52.06 व 22.05 बीघा भूमि मौजा लीकडी, पटवारी हल्का - बालासर, भु- अभिलेख निरीक्षक- शिव, तह0 शिव के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस रिपोर्ट हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/आवेदन/19/ 3002 - 3008

उपखण्ड अधिकारी
शिव जिला बाड़मेर

दिनांक-28/6/19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवार बालासर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक शिव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण हाकमसिंह पुत्र गेमरसिंह वगैरा (02) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण अचलसिंह पुत्र जेतमालसिंह वगैरा (07) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव जिला बाड़मेर

